# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

**राजस्व विविध :: 267/2018**

**जी.सी.एम.एस. :: 2018/00362**

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार तहसीलदार सोजत | जरिये | दयाराम पुत्र गजाराम के का.मु.<br>1. भुरीदेवी पत्नी दयाराम<br>2. गंगाराम पुत्र दयाराम<br>3. कमला पुत्री दयाराम<br>4. इन्द्रा पुत्री दयाराम<br>5. सुभाष पुत्र मोहनलाल<br>6. सोनीदेवी पत्नी मोहनलाल<br>7. अनिता पुत्री मोहनलाल<br>8. अशोक पुत्र रूपाराम<br>9. सुनिता पुत्री रूपाराम<br>10. रेखा पुत्री रूपाराम<br>11. कविता पुत्री रूपाराम<br>12. तारादेवी पत्नी रूपाराम,<br>जातिगण सीरवी, निवासीगण साण्डिया, तहसील सोजत, जिला पाली |

**"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"**

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थी संख्या 2 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन कुमार राठौड़।

**–:: आदेश ::–**

दिनांक : 04/11/2025

प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/3 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन /वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से सरकारी पैरोकार व वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम साण्डिया की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010–19 के अनुसार गत खसरा संख्या 1143 की किस्म गै.मु.नदी थी, जिसके हाल खसरा संख्या 927 से 929 रकबा 1.81 हैक्टेयर किस्म चा.दो भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज

अति. जिला कलेक्टर, पाली

है। उक्त भूमि का आवंटन/नियमन कमेटी द्वारा दिनांक 01.09.1971 को अप्रार्थीगण के पूर्वजों के पक्ष में किया गया। उक्त जैर आराजी कि मूल किस्म गैर मुमकिन नदी थी, जिसे भू प्रबन्धन के दौरान किस्म परिवर्तन कर खसरा नम्बर 927 की गेर मुमकिन सडा, खसरा नम्बर 928 की चा.दो. एवं जा.दो. एवं खसरा नम्बर 929 किस्म चा.दो एवं जा.दो. कर दी गई। जैर आराजी के संबंध में आंवटन/नियमन आदेश की पालना में आवंटी दयाराम पुत्र गजाराम जाति सीरवी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 525 दिनांक 12.09.1971 भर गया, जिसके अनुसार जैर आराजी दयाराम पुत्र गजाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जैर आराजी भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी दयाराम पुत्र गजाराम के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 01.09.1971 एवं नामान्तरकरण संख्या 525 दिनांक 12.09.1977 को निरस्त करवाकर जैर आराजी की किस्म पुनः नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम), 1970 के तहत भूमि का आवंटन/नियमन सम्बन्धित आवंटन कमेटी द्वारा नियमों के अनुरूप किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा जैर आराजी का रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को देखते उक्त भूमि का आवंटन, आवंटी के पक्ष में किया गया है। भूमि काबिल काश्त उपलब्ध थी एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आंवटन/नियमन की गई भूमि प्रतिबंधित नहीं थी। गैर मूमकिन तालाब, नदी, आगोर, तालाब व नदी के प्रवाह को अवरूद्ध करने वाली भूमियों का आवंटन नहीं किया जा सकता है। माना कि भूमि आवंटन से पूर्व गैर मूमकिन नदी, तालाब, नाला, केचमेन्ट एरिया की थी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रथम सेटलमेन्ट सम्वत् 2025 में किया गया। वक्त सेटलमेन्ट रेकर्ड के अनुसार मौके की जांच की गई तथा मौका स्थिति के अनुसार भूमि काबिल काश्त होने से उसकी किस्म बारानी दोयम इत्यादि दर्ज कर दी गई है। किस्म परिवर्तन का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को है एवं उनके द्वारा उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु की गयी कार्यवाही विधिसम्मत थी। आंवटियों द्वारा मौके पर हजारों रूपये खर्च कर भूमि को काबिल काश्त बनाया गया एवं मौके पर बेरा खोदकर, बिजली कनेक्शन लेकर भूमि को उपजाऊ बनाया। अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन को निरस्त करवाने हेतु करीब 34–35 वर्ष पश्चात् प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो नियम विरूद्ध होने से भी खारिज योग्य है, आवंटित व्यक्ति बेकसूर है। अप्रार्थीगण के पक्ष में विधिवत आवंटन होने के पश्चात् उनके द्वारा हजारों रूपये खर्च कर जीवन निर्वाह हेतु उक्त आराजी को एक मात्र साधन/स्त्रोत बनाया है, आवंटन निरस्त होने की स्थिति में अप्रार्थी का जीवन निर्वाह मुश्किल हो जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। यदि जैर आवंटन/नियमन में किसी प्रकार की अनियमितता, छल कपट या गलत तथ्य बताकर किया गया हो तो नियम 14(4) एवं नियम 20 के तहत उस आवंटन/नियमन

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली.

को निरस्त करवाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था परन्तु हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त परिस्थतिया प्रदर्श नहीं हुई है। उक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से भी खारिज योग्य है क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग श्रीमान के न्यायालय के अधीन नहीं है। तहसीलदार ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के विरूद्ध कहीं भी यह स्पष्ट नही किया है कि जैर आराजी पर वर्तमान में नदी है इसलिये भी जैर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम साण्डिया तहसील सोजत की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार खसरा संख्या 927 किस्म गै.मु सड़ा, खसरा संख्या 928 एवं 929 किस्म जाव दोयम, चाही दोयम में अप्रार्थी दयाराम पुत्र गजाराम कौम सीरवी सा. देह खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम साण्डिया के खसरा बन्दोबस्त सम्वत् 2028 के अनुसार खसरा संख्या 927 से 929 का पुराना खसरा संख्या 1143 मि है जिसकी किस्म नदी दर्ज है। आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 01.09.1977 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 525 दिनांक 12.09.1977 के द्वारा जैर आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वज दयाराम पुत्र गजाराम के नाम खातेदारी दर्ज की गई। राजस्व (ग्रुप–7) विभाग जयुपर के परिपत्र क्रमांक–प3(146) राज–7/2011 दिनांक 05.07.2012 के अनुसार केचमेण्ट क्षेत्र को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2012 में परिभाषित किया है, यह निम्नानुसार है – where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc from where water flows. वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जो प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के पुर्वज के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध प्रतीत होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। ग्राम साण्डिया के खसरा बन्दोबस्त सम्वत् 2028 के अनुसार खसरा खसरा संख्या 1143 मि किस्म नदी दर्ज है तथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमिया है। रेफरेन्स मेन्टेनेबल है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है। इसलिये आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन आदेश दनांक 01.09.1977 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 525 दिनांक 12.09.1977 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि आवंटन आदेश दिनांक 01.09.1977 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी के पूर्वजों के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 525 दिनांक 12.09.1977 एवं पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण को अपास्त करते हुए जैर आराजी को पुनः नदी दर्ज कर एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली